महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या– 1983 (1)/XXIV-3/07/02(117)/2007

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, देहरादूनः दिनांक दिसम्बर,2008

विषय:– जिला योजना 2007–08 की अवशेष धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, (राज्य योजना आयोग) उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–405/रा0यो0आ0/जि0यो0/2007–08, दिनांक 13.11.2007 **(प्रति संलग्न)**, जो समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित तथा महालेखाकार, समस्त जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, विभागाध्यक्ष व अन्य समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को पृष्ठांकित है, के द्वारा जिला योजना 2007–08 की अवशेष धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

1– समस्त प्रशासनिक विभाग अनुमोदित जिला योजना 2007–08 की योजनावार अवशेष धनराशि बजट प्राविधान की सीमा तक अपने जनपद स्तरीय अधिकारियों के निवर्तन पर तत्काल रखना सुनिश्चित करेंगे, जिसकी प्रतियां जिलाधिकारियों, मण्डलायुक्त, विभागाध्यक्षो के साथ नियोजन/वित्त विभाग को भी पृष्ठांकित अवश्य करेंगे। जिला योजना के अन्तर्गत पूर्व में जो धनराशि विभागाध्यक्षों को जारी हुई हो तो उसकी जनपदवार फॉट कर तत्काल जनपद स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे।

2– समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जनपद स्तर पर जिलाधिकारी जारी करेंगे।

3– रू0 50 लाख की सीमा तक की जिला सेक्टर की योजनाओं की स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर पर जारी की जायेगी, उससे अधिक धनराशि वाली योजनाओं की स्वीकृति मण्डलायुक्त स्तर से ली जायेगी।

4– निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु जनपद/मण्डल स्तर पर विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियन्ताओं का पैनल बनाया जायेगा। यथा आवश्यकता इन अभियन्ताओं से आगणनों का परीक्षण लोक निर्माण विभाग के सिड्यूल रेट के आधार पर कराकर वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। आगणनों के परीक्षण में यह ध्यान दिया जाय कि एक विभाग के प्रस्ताव का परीक्षण इत्तर विभाग के अभियन्ता द्वारा कराया जाय।

5– अवस्थापना सुविधाओं यथा चिकित्सा, विद्यालय आदि स्थापित करने विषयक जो विभागीय मानक निर्धारित हैं उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। मानकों में विचलन कदापि न किया जाय।

6– जिला/मण्डल स्तर पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने, स्वीकृति/व्यय की प्रगति का संकलन, नियमित अनुश्रवण एवं प्रगति विवरण सम्बन्धी समस्त प्रकिया में अर्थ एवं संख्या विभाग के जिला/मण्डल स्तरीय अधिकारी तत्सम्बन्धी पत्रावली सीधे जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः........2

7– जिला एवं मण्डल स्तर पर संचालित विकास कार्यों का नियमित अनुश्रवण– मूल्यांकन एवं स्थलीय सत्यापन के लिए टास्कफोर्स गठित कर सत्यापन कार्य जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त सुनिश्चित करायेंगे।

8– निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के कार्यरत अभियन्ताओं को सम्मिलित करते हुए **"तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण समिति"** बनायी जाय जो निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

2– उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार जिला योजनान्तर्गत समस्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कार्यवाही सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों द्वारा (50.00 लाख की सीमा तक जिला सेक्टर की योजनाओं हेतु) की जायेगी तथा 50.00 लाख से अधिक धनराशि वाली योजनाओं की स्वीकृति मण्डलायुक्त स्तर से ली जायेगी।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश संख्या 1010/XXIV-3/07/02(20)/2007, दिनांक 03 अगस्त,2007 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 की जिला योजनान्तर्गत आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से अद्यतन अवशेष धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के उक्त पत्र दिनांक 13.11.2007 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार तत्काल यथोचित अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को प्राथमिकता के आधार पर अवगत करायें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

संख्या– 1983 (1)/XXIV-3/07/02(117)/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
6– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
10– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
11– संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, गढ़वाल/कुमायूँ।
12– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
14– वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
15– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
17– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव